

दिल्ली राज्यांक
रिंचाई विभाग

गोदान राज्या १८८५-१८८६/८६ ~~४८८~~ पत्ता, दिनांक १५ जनवरी १९४७ है।

गोदान

दिल्ली लोक रोबा आयोग के पद्धति १८८५ दिनांक १-१२-८६, १४६ दिनांक १८८५ एवं
पद्धति १८८७ दिनांक १८८८/८६ में राज्यांकित अनुशंशा के आलोक में श्री ~~नवाज़ किंशुर लाल~~
~~बारा-बुज्जिनाथ राम, मौ०- भैरू इन्सुरेन्स मार्ग-१, डाक-हैल, राजी।~~ ~~५८८~~

रोबा नाम --- ४०५ --- प्रथम --- ४३४ ---

को कनीय अभियंता (अरोनिक) के रूप में ऐतन मान ७८५-८५- ११८५ - रो०-२५-
१२१८/- रखये तथा राम्य राम्य पर रारकार सारा निधारित जीवन यापन भत्ता तथा अन्य देय
भत्ते पर अस्थायी रूप में नियुक्त कर उनकी जब स्थापन-(१) मुठ्य अभियंता, रिंचाई इमार्ग-०/प८८
(२) लघु रिंचाई विभाग

(३) कृषि विशेष कार्य औ म विभाग

(४) दिल्ली राज्य जल बाहित मूल बोर्ड, ३१/८१/८५, ८१/८१/४४।

२- यह नियुक्ति अस्थायी है एवं कभी भी दिना रूचना के रामापत्र को जा रकती है।

३- ये अपना पद भार ग्रहा नियोक्तन (१) मुठ्य अभियंता, रिंचाई इमार्ग-०/प८८
(२) लघु रिंचाई विभाग

(३) कृषि (विशेष कार्य. इम) विभाग

(४) दिल्ली राज्य जल बाहित मूल बोर्ड

को देंगे।

४- पद ग्रहण करने के राम्य उनकी आयु प्रमाण पत्र शेषांक योग्यता एवं प्राप्तें धिक्क
योग्यता के मूल प्रमाण पत्र को रावधित पवारिकारी के पास उपस्थापित करना होगा तथा
अस्थायी घोषणा पत्र पर लक्षात्तर बरना होगा।

५- पद ग्रहण करने के राम्य एवं नियोक्ता अरोनिक इत्य चिकित्रक रो प्राप्त
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र रावधित मुठ्य अभियंता के राम्य उपस्थापित करना होगा।

६- पद ग्रहण के लिये कोई यादा भत्ता देय नहीं होगा।

७- नव निर्गत करने की तिथि रो १५ दिनों के अंदर यदि पद ग्रहण नहीं किया गया तो
उनकी नियुक्ति रद्द राम्य की जायेगी।

८- दिल्ली लोक रोबा आयोग के अनुशंशानुरार हनकी बरोयता में कोई परिवर्तन नहीं
होगा। परन्तु पूर्व के बारों में की गयी कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के बाद हनकी बरोयता
होगी।

५८ २०८५/१५/८५

तत्वाः मुहूर्य अभियंता, रिचा = विभाग, समाज अ०, पट्टै
मुहूर्य अभियंता, जवू शिंयाई
कृषि (विशेष कार्य ब्रम) विभाग
वित्तप्रौद्य जल याहित मल टोड
एवं रामनिधित कनीय अभियंता
को रूचनार्थ एवं अवश्यक वार्डी हेतु बैधेन ।

२- अनुरोद हैं मि रामनिधित वाधिकारी कनीय अभियंता के पद ग्रहण करने के राम्य एके मूल ब्राह्म पद को देने कर उनकी यथार्थता के दारे में अपने का रातुष्ट कर लेंगे तथा अस्थायी रोज घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर अवश्य करा लेंगे । राय ही यह भी ध्यान रखा जाय कि किरी कनीय अभियंता का पद स्थापन गृह जिला में नहीं किया जाय ।

अभियंता बमु रात अपर आयुक्त राह विशेष
राचित ।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
रूपांकण प्रमंडल संख्या-2, रॉची।

पत्रांक: ६०४ /

रॉची, दिनांक: / 2023

कार्यालय आदेश

सरकार के अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, रॉची के अधिसूचना संख्या- 6438 दिनांक-28.11.2023 के द्वारा श्री नवल किशोर प्रसाद (ID-J-7552) तत्कालीन सहायक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, रॉची की सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, रॉची के अधिसूचना संख्या- 4795 दिनांक-06.10.2023 द्वारा विभाग को वापस किये जाने के फलस्वरूप श्री प्रसाद को सहायक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल सं.-02, रॉची के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया है, श्री प्रसाद, इस कार्यालय में दिनांक- 29.11.2023 के अपराह्न अपने पद पर स्वत पद ग्रहण किये।

श्री प्रसाद, सहायक अभियंता के आवेदन के आधार पर ये ६० (साठ) वर्ष आयु पूरी होने के पश्चात् दिनांक- 30.11.2023 के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

सूचनार्थ प्रैषित।

- अनु:- 1. नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, रॉची की
अधिसूचना संख्या- 4795 दिनांक-06.10.2023
की छाया प्रति।
2. जल संसाधन विभाग , झारखंड रॉची के
अधिसूचना संख्या- 6438 दिनांक-28.11.2023
की छाया प्रति।

₹८०/-

कार्यपालक अभियन्ता,
रूपांकण प्रमंडल सं.-02, रॉची।

पत्रांक: /

रॉची, दिनांक: / 2023

प्रतिलिपि - अधीक्षण अभियंता, रूपांकण, आयोजन एवं मोनेटरिंग अंचल, रॉची/ मुख्य अभियंता, जल

संसाधन विभाग, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई समर्पित।

₹८०/-

कार्यपालक अभियन्ता,
रूपांकण प्रमंडल सं.-02, रॉची।

पत्रांक:- /

रॅची, दिनांक:- / 2023
प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा एंव हक) झारखण्ड, रॅची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

₹०/-

कार्यपालक अभियन्ता,
रूपांकण प्रमंडल सं.-02, रॅची।

पत्रांक: ५०४ /

रॅची, दिनांक:- ३०. ११. / 2023
प्रतिलिपि - श्री नवल किशोर प्रसाद, सहायक अभियन्ता, रूपांकण प्रमंडल सं.-02, रॅची को सूचनार्थ प्रेषित।

Min 30-11-2023

कार्यपालक अभियन्ता,
रूपांकण प्रमंडल सं.-02, रॅची।

न्युक्लियर

३०. ११. २३